धारा-46. सहायक राज्य भागिता निधि.- (1) कोई केन्द्रीय समिति जिसे शीर्ष समिति प्रमुख राज्य भागिता-निधि से धन दे, ऐसे धन से एक निधि की स्थापना करेगी जिसे ''सहायक राज्य भागिता-निधि'' कहा जायेगा।

(2) केन्द्रीय समिति, सहायक राज्य भागिता-निधि को निम्नलिखित प्रयोजन के लिये ही प्रयुक्त करेगी, किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं-

(क) प्रारम्भिक समितियों में अंशो का क्रय;

(ख) इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार शीर्ष समिति को भुगतान करना।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1976 के द्वारा निकाल दिये गये (3.10.1975 से प्रभावी)।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 47 सन् 2007 द्वारा प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढाया गया जो उ0 प्र0 असाधारण गजट भाग-1 खण्ड (क) दिनांक 10 दिसम्बर, 2007 को प्रकाशित हुआ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1976 के द्वारा निकाल दिये गये (3.10.1975 से प्रभावी)।